संख्या- 24/2025/161/छप्पन-2025-34/1994टी0सी0-1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2025

विषय: जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर के विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाली परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 349/ना0उ0नि0/वाराणसी/2025 दिनांक 30 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-132/81-4-2025-1887151 दिनांक 23 जनवरी, 2025 एवं जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-1804/सात-भू0सु0/2024 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के क्रम में जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर के विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 3,98,27,006/- (रूपए तीन करोड़ अट्ठान्नबे लाख सत्ताईस हजार छः मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन हेतु प्रदान किए जाने के सम्बन्ध मे निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या 102/2023/1326/छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास/ विस्तारीकरण हेतु 356.5 एकड़ भूमि के क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 5,50,00,00,000/- (रूपए पॉच अरब पचास करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई एवं शासनादेश संख्या 22/2024/209/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 16 फरवरी, 2024 द्वारा धनराशि रू0 3,25,00,00,000/- (रूपए तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई; शासनादेश संख्या 91/2024/1554/छप्पन-2024-34/1994टी0सी0-1 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 द्वारा जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी के रनवे के विस्तार हेतु एनएच-31 (पुराना एनएच-56) के रिएलायमेण्ट एवं रनवे के नीचे प्रस्तावित अण्डरपास के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि रकबा 10.5549 है0 के अधिग्रहण हेतु अनुमानित कुल धनराशि रू0 1,13,93,51,288/- (रूपए एक अरब तेरह करोड़ तिरान्नवे लाख इक्यावन हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) तथा शासनादेश संख्या 97/2024/1653/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 द्वारा जनपद वाराणसी स्थित लालबहादुर शास्त्री हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु 04 ग्राम पुरारघुनाथपुर, बसनी, घमहापुर करमी व करमी में आच्छादित आबादी श्रेणी 6(2) की प्रभावित भूमि को क्रय किए जाने हेतु प्रतिकर की धनराशि रू0 48,49,43,383.00 (रूपए अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख तैंतालीस हजार तीन सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 103/2024/1554/छप्पन-2024-34/1994टी0सी0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के नए टर्मिनल भवन एवं सम्बन्धी कार्यों के निर्माण में आ रही विद्युत तार, खम्भों को शीघ्र हटाने से सम्बन्धित प्राक्कलन धनराशि रू0 2,84,31,099.00 (रूपए दो करोड़ चौरासी लाख एकतीस हजार निन्नानवे मात्र) तथा शासनादेश संख्या 15/2025/47/छप्पन-2025-34/1994 दिनांक 29 जनवरी, 2025 द्वारा बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 20,48,09,128/- (रूपए बीस करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर के विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 3,98,27,006/- (रूपए तीन करोड़ अट्ठान्नबे लाख सत्ताईस हजार छ: मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 3,98,27,006/- (रूपए तीन करोड़ अट्ठान्नबे लाख सत्ताईस हजार छ: मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,98,27,006/- (रूपए तीन करोड़ अट्ठान्नबे लाख सत्ताईस हजार छ: मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-289-X-2024-25 दिनांक 18 फरवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या- 24/2025/161(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5- जिलाधिकारी, वाराणसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1.
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in